

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 273/2013

ओमप्रकाश पुत्र बोदूराम (मृत)

1. जितेन्द्र कुमार
2. प्रमोद कुमार
3. सुनील कुमार पुत्रगयण स्व० ओमप्रकाश
4. राजकुमारी देवी पुत्री स्व० ओमप्रकाश
5. कन्हैयालाल पुत्र स्व० ओमप्रकाश
6. विमला देवी पत्नी स्व० ओमप्रकाश समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर

-वादीगण-

बनाम

1. राजकुमार पुत्र मांगीलाल जाति जांगिड़ निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर
2. हर खास व आम
3. तहसीलदार, सीकर

-प्रतिवादीगण -

वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित -वकील वादी- श्री नोपाराम जांगिड़

वकील प्रतिवादी संख्या 1 - श्री प्रहलाद राम जांगिड़

वाद वादीगण भूमि खसरा नम्बर 1369 रकबा 1.50 है० वाके ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर का प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।


(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर



वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____ रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 30.1.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी सीकर